आज का दिन: 1998 में स्वीडन के गोथेनबर्ग डिस्कोथीक में हुए अग्निकांड में 63 लोग मारे गए।

मोबाइल नम्बर आयोग की वेबसाइट पर दर्ज करवाएं, घर बैठे अपने नगर निकाय चुनाव की जानकारी मिलेगी

चुनाव की सभी जानकारी फोन पर मिलेगी

लखनऊ | सन्तोष वाल्मीकि

अगर आप घर बैठे अपने नगर निकाय (नगर निगम, नगर पंचायत या नगर पालिका परिषद) के चुनाव से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो फिर आप तत्काल अपना मोबाइल फोन नंबर राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर पंजीकृत करवाएं।

आयोग की वेबसाइट **http://sec.up.nic.in** के सेल्फ मोबाइल रजिस्ट्रेशन के बटन को क्लिक करिये। उसके बाद जो पेज खुलेगा उसमें अपने नाम को सर्च में डालिए, आपके नाम से संबंधित सारा ब्योरा सामने आने पर मोबाइल फोन वाले कालम में जाकर अपना मोबाइल फोन नवंबर दर्ज करिए और उसके बाद निश्ंचित हो जाइये।

मतदान वाले दिन आपको आयोग की तरफ से मैसेज मिलेगा कि आप अपने घर से निकलिए और जाकर मतदान करिए। फिर मतगणना वाले दिन अपने निकाय से संबंधित चुनावी नतीजे जानने के लिए भी बेचैन होने की जरूरत नहीं है। चुनाव नतीजा घोषित होते ही आपके मोबाइल फोन पर आयोग से मैसेज आ जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सारे क्रियाकलापों के प्रभारी अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने 'हिन्दुस्तान' से कहा कि

वीपी वर्मा, प्रभारी अपर निर्वाचन आयुक्त

इस निकाय चुनाव में पहली दफा प्रत्याशियों को भी सारी संबंधित जानकारी आनलाइन देने की व्यवस्था की गई है।

नामांकन भरने के दौरान प्रत्याशी जो हाथ से भरा हुआ नामांकन पत्र रिटर्निंग आफिसर के समक्ष दाखिल करेगा उसमें अंकित सारी सूचना इस नामांकन पत्र के आनलाइन प्रारूप में तत्काल फीड कर दी जाएगी। इसके बाद एक प्री-ई-रसीद निकलेगी जो मौके पर प्रत्याशी को दी जाएगी कि वह खुद जांच कर लें कि नामांकन पत्र में भरी गई उससे संबंधित सारी सूचनाएं सही हैं या नहीं। अगर सारी सूचनाएं सही हैं तो फिर फाइनल-ई-रसीद निकलेगी जिससे यह तय हो जाएगा कि प्रत्याशी का नामांकन फार्म जमा हो गया। इस फाइनल-ई-रसीद में नामांकन फार्म की संख्या, उसका मूल्य, जमा की गई जमानत राशि आदि की सारी जानकारियां दर्ज होंगी।इसके बाद जांच वाले दिन अगर नामांकन सही पाया गया तो प्रत्याशी के नाम के आगे 'क्लीयर' अंकित हो जाएगा और उसके मोबाइल फोन नंबर पर मैसेज आ जाएगा। इसी तरह नाम वापस लेने वाले प्रत्याशी को भी उसके मोबाइल फोन पर मैसेज मिलेगा।

16 निगमों के महापौर पद के लिए पांच हजार दावेदार

लखनऊ। स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा के टिकट की डिमांड का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 16 नगर निगमों के महापौर पद के लिए पांच हजार दावेदार हैं।

इनमें दो हजार तो गंभीर दावेदार हैं। इसी तरह नगर निगम से लेकर नगर पंचायत तक के करीब 12 हजार वार्डों में भाजपा पार्षद बनने को एक लाख से ऊपर दावेदारों ने इच्छा जताई है। भाजपा के टिकट के इच्छुक इन सभी कार्यकर्ताओं ने अपना बायोडॉटा निकाय प्रभारियों को सौंप दिया है। इनकी किस्मत का फैसला 31 अक्तूबर से चरणबद्ध तरीके से होना शुरू हो जाएगा।

सरकार, संगठन और सामंजस्य की चुनौती

लखनऊ | आनंद सिन्हा

प्रदेश में निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है। सभी सियासी दल कमर कस कर मैदान में हैं और उनकी अपनी चुनौतियां हैं लेकिन प्रदेश में सात महीने पहले सत्तासीन हुई सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। चुनौती सरकार और संगठन की साख कायम रखने की और इसी के साथ चुनौती संगठन में समन्वय की भी है।सरकार के सत्तारूढ़ होने के

बाद से ही पार्टी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास के एजेंडे को धार देने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है। चाहे जिलों में भ्रमण कर कानून-व्यवस्था की चुनौती से निपटने की उनकी कवायद हो। सरकार के कामकाज में पारदर्शिता हो या फिर भ्रष्टाचार पर उनका जीरो टालरेंस...हर कवायद में पार्टी के मूलमंत्र - सबका साथ सबका विकास की ही झलक दिखाई देती रही। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में संगठन से समन्वय के जब भी मुद्दे उठे, उन्होंने खुद ही परिश्रम के जरिए उदाहरण पेश करने की कोशिश की। मंत्रियों को जिलों और गांवों में जाने को कहा। यह भी कहा कि निकाय चुनाव में जीत उनकी ही जिम्मेदारी है।

निकाय चुनाव में बड़े नामों पर दांव लगा सकती है कांग्रेस

लखनऊ | वरिष्ठ संवाददाता

कांग्रेस निकाय चुनाव में बड़े नामों पर दांव लगा सकती है। पूर्व केन्द्रीय मंत्री से लेकर पूर्व सांसदों-विधायकों तक को लड़ाने पर पार्टी में विचार चल रहा है। इस कड़ी में एक जो नाम लगभग तय है वह मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रहे प्रदीप जैन आदित्य हैं, उन्हें झांसी से मेयर पद के लिए चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। सिर्फ औपचरिक घोषणा बाकी है।

2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने निकाय चुनाव को बड़ी जोरदारी से लड़ने की ठानी है। यही कारण है कि पार्टी इन चुनावों को गंभीरता से ले रही है। सूत्रों के अनुसार चूंकि निकाय चुनाव शहरी मतदाताओं का चुनाव है इसलिए पार्टी मेयर और नगर पालिका परिषद चेयरमैन के पद पर कद्दावर, निर्विवाद और मजबूत शख्सियतों को चुनाव लड़ाना चाहती है। ऐसे ही नामों पर विचार चल रहा है। मसलन-इलाहाबाद से पार्टी बेदाग छवि के एक पूर्व विधायक को चुनाव लड़ाना चाहती है।

लखनऊ, कानपुर, आगरा समेत दूसरी जगहों पर भी पार्टी की यही कोशिश है। झांसी में पूर्व केन्द्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य का नाम तय है। श्री जैन ने बातचीत में कहा कि जिले में हुई बैठक में सबने मेरे नाम का प्रस्ताव किया है। अगर नेतृत्व कहेगा तो वह चुनाव लड़ेंगे।

निकाय चुनाव में आक्रामक रुख अपनाएगी भाजपा

लखनऊ | शोभित मिश्र

केन्द्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार की उपलब्धियों के सहारे भारतीय जनता पार्टी स्थानीय चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीतने के लिए कमर कस कर मैदान में उतरेगी।

भाजपा ने विपक्ष के हमलों पर आक्रामक रुख अपनाने का फैसला किया है। चुनाव प्रचार में सपा-बसपा सरकार के कार्यकाल पर हमलावर रहते हुए कांग्रेस को केन्द्र की यूपीए सरकार के सहारे आईना दिखाने की रणनीति भी है। चुनाव प्रचार में निकलने वाले पार्टी के नेता बताएंगे कि किस तरह मेट्रो सिटी समेत शहरों के मूलभूत ढांचे के विकास के लिए पार्टी ने खजाना खोला है।

महिला कांग्रेस करेगी आरक्षण की मांग

लखनऊ। प्रदेश महिला कांग्रेस संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग को लेकर 31 अक्टूबर को सभी जिलों में जिलाधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजेगी। प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिमा सिंह ने इस बारे में लखनऊ में बताया कि इसी साल 21 मई को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व उपाध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में लोकसभा में इस बिल को पेश करने के लिए महिला कांग्रेस द्वारा जनता का समर्थन लेने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया था।

कई नेता सपा में शामिल

लखनऊ। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र से पूर्व बसपा विधायक हाजी जाकिर अली समेत बसपा, कांग्रेस व भाजपा के कई नेता शनिवार को सपा में शामिल हो गए। सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि गोरखपुर के भाजपा नेता राजू मिश्रा, अरविन्द मिश्र, धर्मेन्द्र दुबे और ग्राम प्रधान टीएन श्रीवास्तव उर्फ गुड्डू के अलावा गोरखपुर के हिन्दू युवा वाहिनी के मनोज पाल ने भी सपा में शामिल होने की घोषणा की। इसके साथ ही गाजियाबाद से बीएसपी के पूर्व विधायक हाजी जाकिर अली समेत कई बसपा छोड़कर सपा में शामिल हो गए।

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-1
संख्या 4662, 9-1-17-59 नि०/2017
लखनऊ : दिनांक 26.10.2017

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन् 1916) की धारा-9-क की उप धारा (1), (3) और (4) तथा यथा संशोधित उत्तर प्रदेश नगर पालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) नियमावली 1994 के उपबन्धों के अनुसरण में अधिसूचना संख्याः- 4425/9-1-17-59नि०/2017 दिनांक 03 अक्टूबर 2017 द्वारा गजट में प्रकाशित आदेश के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात निर्देश देते हैं कि जिला रामपुर की समस्त नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए स्थानों को इसके साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार आरक्षित/आवंटित किया जायेगा।

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव

अनुसूची

नगर पंचायत, केमरी, रामपुर — जनपद- रामपुर

क्रमांक	कक्ष (वार्ड) संख्या	कक्ष (वार्ड) का नाम	आरक्षण का वर्ग
1	1	चमारान आंशिक-1	अनारक्षित
2	2	सिंघाडियान आंशिक-1	महिला
3	3	सिंघाडियान आंशिक-2	महिला
4	4	सिंघाडियान आंशिक-3	पिछड़ा वर्ग
5	5	चमारान आंशिक-2	अनारक्षित
6	6	इमामबाडा आंशिक-1	पिछड़ा वर्ग महिला
7	7	माजुल्ला नगर आंशिक-1	पिछड़ा वर्ग महिला
8	8	चमारान आंशिक-3	अनारक्षित
9	9	तकिया आंशिक-1	पिछड़ा वर्ग
10	10	इमामबाड़ा आंशिक-2	अनारक्षित
11	11	माजुल्ला नगर आंशिक-2	महिला
12	12	माजुल्ला नगर आंशिक-3	अनारक्षित
13	13	माजुल्ला नगर आंशिक-4	अनारक्षित
14	14	माजुल्ला नगर आंशिक-5	अनारक्षित
15	15	तकिया आंशिक-2	अनारक्षित

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-1
संख्या 4718/9-1-2017-301सा/2017
लखनऊ : दिनांक 26.10.2017

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन् 1916) की धारा-9क की उप धारा (5) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निर्गत अधिसूचना संख्या- 4561/9/1-2017-301सा/2017, दिनांक 12.10.2017 के विरूद्ध प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए नगर पालिका परिषदों में अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए अध्यक्ष के स्थान पर निम्न अनुसूची के अनुसार आरक्षित/आवंटित किये जाते हैं :-

क्रमांक	जनपद का नाम	नगर पालिका परिषद का नाम	आरक्षण का वर्ग
1	संभल	नगर पंचायत,बहजोई, सम्भल	अनारक्षित
2	संभल	नगर पंचायत, सिरसी, सम्भल	महिला
3	संभल	नगर पंचायत, गवां, सम्भल	अनारक्षित

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-1
संख्या 4662, 9-1-17-59 नि०/2017
लखनऊ : दिनांक 26.10.2017

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन् 1916) की धारा-9-क की उप धारा (1), (3) और (4) तथा यथा संशोधित उत्तर प्रदेश नगर पालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) नियमावली 1994 के उपबन्धों के अनुसरण में अधिसूचना संख्याः- 4425/9-1-17-59नि०/2017 दिनांक 03 अक्टूबर 2017 द्वारा गजट में प्रकाशित आदेश के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात निर्देश देते हैं कि जिला रामपुर की समस्त नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए स्थानों को इसके साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार आरक्षित/आवंटित किया जायेगा।

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव

अनुसूची

नगर पंचायत, शाहबाद, रामपुर — जनपद- रामपुर

क्रमांक	कक्ष (वार्ड) संख्या	कक्ष (वार्ड) का नाम	आरक्षण का वर्ग
1	1	मंगोली	अनुसूचित जाति
2	2	भीतरगॉव	अनुसूचित जाति
3	3	हकीमान	अनुसूचित जाति महिला
4	4	मंगोली/भीतरगॉव	पिछड़ा वर्ग
5	5	फर्राशान	अनारक्षित
6	6	अमीरअली खां/फर्राशान	पिछड़ा वर्ग
7	7	नालापार	महिला
8	8	बरवालान/जिलेदरान	अनारक्षित
9	9	कानून गोयान पूर्वी	पिछड़ा वर्ग महिला
10	10	कानून गोयान पश्चिम	अनारक्षित
11	11	फर्राशान/सादात	महिला
12	12	सादात पश्चिम अमीरअली	अनारक्षित
13	13	खटपुर/दीवान	महिला
14	14	मस्जिद काजी/कस्सावान	पिछड़ा वर्ग महिला
15	15	अफगानान	अनारक्षित
16	16	वोदांन	अनारक्षित
17	17	सादात पूर्वी	अनारक्षित

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-1
संख्या 4662, 9-1-17-59 नि०/2017
लखनऊ : दिनांक 26.10.2017

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन् 1916) की धारा-9-क की उप धारा (1), (3) और (4) तथा यथा संशोधित उत्तर प्रदेश नगर पालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) नियमावली 1994 के उपबन्धों के अनुसरण में अधिसूचना संख्याः- 4425/9-1-17-59नि०/2017 दिनांक 03 अक्टूबर 2017 द्वारा गजट में प्रकाशित आदेश के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात निर्देश देते हैं कि जिला रामपुर की समस्त नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए स्थानों को इसके साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार आरक्षित/आवंटित किया जायेगा।

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव

अनुसूची

नगर पालिका परिषद, बिलासपुर, रामपुर — जनपद- रामपुर

क्रमांक	कक्ष (वार्ड) संख्या	कक्ष (वार्ड) का नाम	आरक्षण का वर्ग
1	1	कस्बा राजपुर	अनुसूचित जाति महिला
2	2	ज्यारत शीरी मियां 'अ'	अनारक्षित
3	3	बाजार कलां 'ब'	महिला
4	4	टांडा हुरमतनगर	अनुसूचित जाति
5	5	कायस्थान 'ब'	पिछड़ा वर्ग
6	6	बाजार कलां 'द'-1	अनारक्षित
7	7	बाजार कलां 'अ'	अनारक्षित
8	8	बाजार कलां 'द'-2	अनारक्षित
9	9	बिशारतनगर	पिछड़ा वर्ग
10	10	भट्टी टोला 'ब'	महिला
11	11	बाजार कलां 'स'	पिछड़ा वर्ग
12	12	बाजार कलां 'च'	अनारक्षित
13	13	साहूकारा 'स'	महिला
14	14	भट्टी टोला 'अ'	महिला
15	15	भट्टी टोला 'स'	अनारक्षित
16	16	साहूकारा 'द'	अनारक्षित
17	17	ज्यारत शीरी मियां 'स'	पिछड़ा वर्ग महिला
18	18	कायस्थान 'अ'	अनारक्षित
19	19	ज्यारत शीरी मियां 'द'-1	महिला
20	20	ज्यारत शीरी मियां 'द'-2	महिला
21	21	साहूकारा 'अ'	अनारक्षित
22	22	साहूकारा 'ब'	अनारक्षित
23	23	टांडा हुरमतनगर 'ब'	पिछड़ा वर्ग
24	24	ज्यारत शीरी मियां 'ब'	अनारक्षित
25	25	साहूकारा 'द'-1	पिछड़ा वर्ग महिला

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव

JUBILANT LIFESCIENCES

Jubilant Life Sciences Limited

Regd. Off.: Bhartiagram, Gajraula, District Amroha - 244 223 (U.P.) | CIN : L24116UP1978PLC004624
Website: www.jubl.com | Email: investors@jubl.com | Tel: +91-5924-252353-60 | Fax: +91-5924-252352

Extract of Consolidated Unaudited Results for the Quarter and Half Year ended 30 September 2017

(₹ in Lakhs)

Particulars	Quarter Ended			Half Year Ended		Year Ended
	30 September (Unaudited) 2017	30 June (Unaudited) 2017	30 September (Unaudited) 2016	30 September (Unaudited) 2017	30 September (Unaudited) 2016	31 March (Audited) 2017
Total revenue from operations	164204	159605	141934	323809	287326	600632
Net Profit before tax, exceptional and extraordinary items	16813	20321	19328	37134	41144	73764
Net Profit before tax (after exceptional and extraordinary items)	16813	20321	19328	37134	41144	73764
Net Profit after tax, exceptional and extraordinary items	12547	14371	14356	26918	30748	57462
Total comprehensive income after tax (comprising profit/(loss) for the period after tax and other comprehensive income after tax)	20563	18318	9704	38881	29599	51692
Equity share capital	1557	1557	1555	1557	1555	1557
Reserves (excluding revaluation reserve)						342047
Earnings per share of ₹ 1 each before and after extraordinary items (Not annualized)						
Basic (₹)	8.23	9.44	9.29	17.67	19.68	36.93
Diluted (₹)	8.23	9.44	9.28	17.67	19.66	36.91

1. The Company has opted to publish consolidated unaudited results for the year ending 31 March 2018. The standalone unaudited results are available under Investor Relations section of our website at www.jubl.com and under Financial Results at Corporates section of www.nseindia.com and www.bseindia.com. Key standalone financial information of the Company is as under:

(₹ in Lakhs)

Particulars	Quarter Ended			Half Year Ended		Year Ended
	30 September (Unaudited) 2017	30 June (Unaudited) 2017	30 September (Unaudited) 2016	30 September (Unaudited) 2017	30 September (Unaudited) 2016	31 March (Audited) 2017
Total revenue from operations	73448	71027	60640	144475	122504	262298
Profit before tax	7827	2741	3503	10568	6718	11452
Net profit after tax	5688	2229	2412	7917	4510	7919

2. Sales/Income from operations (included in total revenue from operations) for the current period is not comparable with previous periods since the same is net of Goods and Services Tax (GST) whereas excise duty formed part of expenses in previous periods.

The comparative sales/income from operations of the Company is given below:

(₹ in Lakhs)

Particulars	Quarter Ended			Half Year Ended		Year Ended
	30 September (Unaudited) 2017	30 June (Unaudited) 2017	30 September (Unaudited) 2016	30 September (Unaudited) 2017	30 September (Unaudited) 2016	31 March (Audited) 2017
Sales/Income from operations (as reported)	162138	157813	139354	319951	282890	591016
Less: Excise duty on sales	22	3975	3384	3997	6823	14489
Sales/Income from operations (net of excise duty)	162116	153838	135970	315954	276067	576527

3. During the quarter, a wholly owned subsidiary of the Company, Jubilant Pharma Limited ("JPL"), through one of its wholly owned subsidiaries has completed the acquisition of the US radiopharmacy business of Triad Isotopes, Inc. The acquisition has been funded through JPL's internal accruals. This being a business combination, basis preliminary purchase price allocation to various identifiable acquired assets and assumed liabilities, provisional goodwill of ₹ 4422 lakhs has been recognised. Results for the current quarter has been impacted by acquisition related one time cost of ₹ 811 lakhs and elimination of unrealised profit of ₹ 1108 lakhs on intra group inventory out of sales made after acquisition date which otherwise would have been considered as external sales.
4. The above consolidated unaudited results were, subjected to limited review by the Statutory Auditors of the Company, reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 28 October 2017.
5. The above is an extract of the detailed format of the consolidated unaudited results for the quarter and half year ended 30 September 2017 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 & 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format for the consolidated unaudited results for the quarter and half year ended 30 September 2017 is available under Investor Relations section of our website at www.jubl.com and under Financial Results at Corporates section of www.nseindia.com and www.bseindia.com.

For **Jubilant Life Sciences Limited**

Place : Noida
Date: 28 October 2017

Hari S. Bhartia
Co-Chairman & Managing Director